स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय / Ministry of Health & Family Welfare
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय /Directorate General of Health Services
(चिकित्सा अस्पताल III अनुभाग)/ (Medical Hospital III Section)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated 11/11/2021

OFFICE ORDER

Subject: Training on Basic Life Support/ First Aid.

.....

Emergency medical condition spans from Acute Myocardial Infarction, Stroke to Drowning, Poisoning and Injury. For mitigating the impact, it is necessary to train common people in initial management of common emergencies. However, in India, there is no such structural training program for common people.

Therefore, Dte.GHS is organizing a series two-days trainings (6-8 hours per day) on Basic Life Support/ First Aid. The tentative date for the first batch would be in the last week of November, 2021.

You are requested to nominate officers for the said training and send the list to the undersigned by 20th November, 2021.

This issues with the approval of competent authority.

(Dr. Manas Pratim Roy)
Assistant Director General
Tel: 011-23061164

To

1. Dr. Mandeep K Bhandari, Joint Secretary, MoHFW, Nirman Bhawan, New Delhi.
2. Sh. Rajiv Manjhi, Joint Secretary, Dte.GHS.

Copy for information to:

1. Sr. PPS to DGHS, Nirman Bhawan.
2. PA to DDG (TJ), Dte.GHS, Nirman Bhawan.

Scanned with CamScanner

Phone : 25367033, 25367035, 25367036
दूरभाष : 25367033, 25367035, 25367036
Telegrams : MEDCONCIND, New Delhi- 77
तार : मेडकौंसिंड नई दिल्ली
Fax : 0091-11-25367025
E-mail : mci@bol.net.in
Website : www.mciindia.org

पॉकेट – 14, सेक्टर – 8,
द्वारका फेस– 1
नई दिल्ली–110 077
Pocket- 14, Sector- 8,
Dwarka Phase - 1
New Delhi-110077

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्
MEDICAL COUNCIL OF INDIA

No.MCI-203(RTI)/2017-Regn./ 101307

Date: 08/4/17

Diary No.D1/2016/184100
Date : 20.03.2017

Sh. Mohammmed Niyaz Khan,
1/4472, Street No.8,
Ramnagar Extension,
Shahdara – 110 032.

Subject: **Information sought under Right to Information Act, 2005.**

Sir,

This is in reference to your RTI application dated nil (received on 20/03/2017) regarding the above subject matter.

In this regard, the point wise information is being provided as under:-

1. As per the provisions made in the Indian Medical Council Act, 1956, only those qualifications (Modern System of Medicine) which are included in the Schedules to the Indian Medical Council Act, can be considered for registration under the various provisions made in the Indian Medical Council Act, 1956.

2. First Aid does not come under the purview of the Medical Council of India.

Name and address of the Appellate Authority:

Dr. Reena Nayyar,
Secretary (I/c),
Medical Council of India,
Sector-8, Phase -1, Pocket-14,
Dwarka, New Delhi -110077

Yours faithfully,

(Rajiv Kumar)
Assistant Secretary & PIO

Copy to: RTI Cell, Medical Council of India, New Delhi. (MEDCI/R/2017/00356)

Scanned by CamScanner

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक सांविधिक निकाय
कार्यालय: 61-65, संस्थानिक क्षेत्र, जनकपुरी, डी-ब्लाक नई दिल्ली -110058

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE
A STATUTORY BODY UNDER THE MINISTRY OF AYUSH, GOVT. OF INDIA
OFFICE: 61-65, INSTITUTIONAL AREA, JANAKPURI, D-BLOCK NEW DELHI-110058

दूरभाष / Phone
अध्यक्ष / President: 28525156
सचिव / Secretary: 28525847
कार्यालय / Office: 28525464
पंजीयन / Registration: 28522519
फैक्स / Fax: 28520878
www.ccimindia.org
secretary@ccimindia.org

क्रमांक / Ref. No. 20-50/2020-(RTI)-X

दिनांक / Dated 09.10.2020

Sh. Ajay Sahu,
40, Abhinav Regal Homes,
Awadhpuri,
Bhopal-462022 (Madhya Pradesh)

Subject: **Online R.T.I. Request Regn. CCOIM/R/T/20/00136 dated 19.08.2020 transferred from Ministry of Ayush on 19.08.2020 with Reference Number: Ayush/R/T/20/00235 to obtain informations-regarding.**

Sir,

With reference to your above mentioned Online RTI Request and Diary No. 328 dated 31.08.2020 in the Central Council of Indian Medicine on the subject mentioned above, I am to inform you that there is no rule or guidelines have been prescribed by Central Council of Indian Medicine under concerned Regulations. Further in the Syllabus of Stri Roga Part-2 (A) under clinical training-obstetric skills in point No. (6)word First-Aid has been found. A photocopy of the same is enclosed for your reference.

Yours faithfully,

APPELLATE AUTHORITY
DR. SHAMSHAD BANO,
SECRETARY

(K.NATARAJAN)
ASSTT. REGISTRAR (SIDDHA) &
CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER

Encls: as above
Copy for information to:
1. The Chairperson, Board of Governors, Central Council of Indian Medicine, New Delhi – 110058.
2. The CPIO, RTI Cell, Ministry of AYUSH, Govt. of India, AYUSH Bhawan, B-Block, GPO Complex, INA, New Delhi-110023 in reference to above mentioned Online RTI request.
3. Guard file.

(K.NATARAJAN)
ASSTT. REGISTRAR (SIDDHA) &
CENTRAL PUBLIC INFORMATION OFFICER

Scanned with CamScanner

दूरभाष : 0120-4089800 • फैक्स : 0120-2403172
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मा.सं.वि.मं., भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था)

Phone: 0120-4089800 • Fax: 0120-2403172
NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING
(An Autonomous Institution Under Deptt. of School Education and Literacy, M.H.R.D., Govt. of India)

दिनांक : 13.10.2020

मि0 अजय साहू
40, अभिनव रीगल होम्स
अवधपुरी, भोपाल (म0प्र0)
पिन कोड - 462022

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना उपलब्ध कराने के संदर्भ में -

महोदय,

उपर्युक्त विषय के अंतर्गत अपने पत्र का संदर्भ ग्रहण करें। आपके द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान करने हेतु आपके द्वारा उत्तीर्ण किए गए पाठ्यक्रम के अंक तालिका व प्रमाणपत्र की प्रति मांगी गई थी, जिसका अवलोकन किया गया। उक्त संदर्भ में आपको जानकारी दी जाती है कि:

1. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस), कम्यूनिटी हैल्थ प्रशिक्षण कार्यक्रम (449-451) पाठ्यक्रम, सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात प्राथमिक उपचार कर सकता है, किन्तु मेडीकल प्रैक्टिस के लिए मान्य नहीं है।

   इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के सफल प्रशिक्षणार्थी, अस्पतालों, नर्सिंग होम्स, स्वास्थ्य केन्द्रों आदि पर कार्य कर सकते हैं और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। आपातकालीन परिस्थितियों में रोगी को, प्राथमिक चिकित्सा (First Aid) प्रदान कर, इलाज के लिए संबन्धित चिकित्सालय को तत्काल रेफर कर सकते हैं।

2. यह उस संबन्धित क्षेत्र व राज्य के स्वास्थ्य विभाग के नियमों पर निर्भर करता है।

सधन्यवाद।

भवदीया
अनीता नायर
(अनीता नायर)
CPIO - VOC Dept

ए-24-25, इंस्टीट्यूशनल एरिया, एन.एच.-24, सैक्टर-62, नोएडा-201309 (उ.प्र.)
A-24-25, Institutional Area, NH-24, Sector-62, NOIDA-201309 (U.P.) • Website: www.nios.ac.in • Toll Free No.: 1800 180 9393

Scanned with CamScanner

दूरभाष : 0120-4089800
राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, मा.सं.वि.मं., भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन)

Phone: 0120-4089800
NATIONAL INSTITUTE OF OPEN SCHOOLING
(An Autonomous Organisation Under Deptt. of School Education and Literacy, M.H.R.D., Govt. of India)

F. No. F4(19)/NIOS/Dire(VE)/RTI/2015-16
दिनांक : 18.4.2016
222

विषय – सूचना अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जानकारी के संबंध में।

महोदय,

आपके पत्र के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि –

1. Certificate in Community Health कोर्स करने पश्चात् आप प्राथमिक उपचार कर सकते है।
2. Certificate in Community Health कोर्स करने के पश्चात् कोई भी प्राधिकारी आपको प्राथमिक उपचार के लिए नही रोक सकता है।
3. इस पाठ्यक्रम को कहीं भी पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।
4. बिहार सरकार द्वारा चलाए जा रहा Certificate in Community Health कोर्स NIOS द्वारा ही चलाया जा रहा है।

भवदीया

(सी.पी.आई.ओ.)

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः चि.प्र./सामान्य/2018/37 दिनांकः 18/1/18

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन
समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
राजस्थान।

विषय :– सामुदायिक स्वास्थ्य में प्रमाण पत्र (Certificate course in community health) में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशालय के पूर्व पत्रांक चि.प्र./2015/213 दिनाक 08.09.15 की निरन्तरता में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान (NIOS) से सामुदायिक स्वास्थ्य में प्रमाण पत्र (Certificate course in community health) में प्रशिक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता जनसमुदाय में स्वास्थ्य रक्षक के रूप में कार्य कर सकेगें तथा स्वास्थ्य जागरूकता, स्वस्थ पर्यावरण, स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य विज्ञान और आपातकालीन स्थितियों में प्राथमिक उपचार (First aid) उपलब्ध करा सकेगें।

18/1/18

(डा०वी०के०माथुर)
निदेशक (जन स्वा०)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः चि.प्र./सामान्य/2018/37 दिनांकः 18/1/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर–राज०।
2. निजी सचिव, मिशन निदेशक एवं शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रभारी, सर्वररूम, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।
4. रक्षित पत्रावली।

18-01-18

(डा०संगीत चौधरी)
संयुक्त निदेशक (वीवीआईपी)
नोडल प्रभारी–नीमहकीम/झोलाछाप
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई 2020—श्रावण 2, शक 1942

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2020

क्र. ई-1-97-2020-5-एक.—श्री रवीन्द्र सिंह, भाप्रसे (2004), नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा, मध्यप्रदेश (अतिरिक्त प्रभार) को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सचिव, मध्यप्रदेश शासन पदस्थ किया जाता है.

(2) श्री फैज अहमद किदवई, भाप्रसे (1996) प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री तथा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पर्यटन विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, पर्यटन एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा आयुक्त, खाद्य सुरक्षा मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. गोपाल रेड्डी, मुख्य सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

Scanned by CamScanner

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय

शैक्षणिक परिसर, निर्मला देवी मार्ग, कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल (म. प्र.)

क्रमांक-अकादमी-2020-अबिवाहिंविवि-1890 भोपाल, दिनांक 30 जून 2020

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) की कार्य परिषद् बैठक दिनांक 28/02/2020 के निर्णयानुसार जारी अधिसूचना क्रमांक/अकादमी/अबिवाहिंविवि/2020/1886 भोपाल दिनांक 30.06.2020 द्वारा अधिसूचित किया जाता है विश्वविद्यालय के माध्यम से अध्ययन केन्द्र, स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर/सहयोगी संस्था के माध्यम से अध्ययन मंडल द्वारा अनुशंसित एवं विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल तथा अध्ययन केन्द्र, स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर/सहयोगी संस्था (भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद् (FACI)) द्वारा मध्य हुए अनुबंध की शर्तों, विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक -103 एवं मार्गदर्शिका में विहित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप पाठ्यक्रम संचालित किए जावेगें। अध्ययन केन्द्र, स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर/सहयोगी संस्था में अध्ययनरत पात्र छात्रों को म.प्र. शासन के नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। अध्ययन केन्द्र, स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर/सहयोगी संस्था (भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद् (FACI))द्वारा प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा कोर्स/प्राथमिक आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा कोर्स व आयुर्वेद फार्मा डिप्लोमा कोर्स तथा अन्य सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स जैसे- आयुर्वेद एवं चिकित्सा/यूनानी एवं चिकित्सा/होम्योपैथिक फार्मेसी/सिद्ध (वैकल्पिक) एवं चिकित्सा एक्यूपंक्चर/नैचुरोपैथिक, यौगिक विज्ञान एवं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा (डिप्लोमा) के पाठ्यक्रम संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्ययन केन्द्र, स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर/सहयोगी संस्था (भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद् (FACI)) द्वारा प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि (डिप्लोमा), स्नातकोत्तर पत्रोपाधि, स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रमों को संचालित किया जावेगा। उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्र, स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर/सहयोगी संस्था (भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद् (FACI))के माध्यम से रोजगार/स्वरोजगार हेतु अधिकृत परामर्शदाता द्वारा मार्गदर्शित किया जायेगा।

भवदीय,

डॉ. विजय कुमार सिंह, कुलसचिव.

Scanned by CamScanner

No.-Academy-2020-ABVHVV-1890 Bhopal, the 30th June 2020

In pursuance of the decision of the Executive Council meeting held on 28/02/2020 at Atal Bihari Vajpayee Hindi University, Bhopal (M.P.) a notification No.ABVHVV/2020/1886 dated 30/06/2020 is issued that permission is granted by the Atal Bihari Vajpayee Hindi University to run the Study Centre/Study Extension Centre/Associate Institutions the courses which are recommended by the Board of Studies and approved by the S.C. of A.C. (Standing |Council of Academic Council). According to MOU (Memorandum of Understanding) incorporated between the ABVHVV and the FACI, Study Centre/Study Extension Centre/Associate Institutions will have to run the courses according to the provisions laid down by Ordinance No. 103 and the Guidelines issued by the University. The University will issue/pay the scholarship to the students who are studying in Study Centre/Study Extension Centre/Associate Institutions as per the M.P. Govt. rules. It is proposed by the FACI that the Study Centre/Study Extension Centre/Associate Institutions will run the courses like Diploma in Prathmik Chikitsa Visheshagya (First Aid Specialist Diploma), Prathmik Ayurved Chikitsa Diploma (First Aid Ayurveda Medical Specialist Diploma), Ayurveda Pharma Diploma Course and other Certificate/Diploma Courses such as Ayurveda Evm Chikitsa (Ayurved and Treatment/Unani Evm Chikitsa (Unani & Treatment)/Homeopathic Pharmacy/ Siddha Vaikalpic Evm Chikitsa (Siddha Alternative & Treatment)/ Acupuncture/Naturopatic/ Yogic Science & Yoga and Naturopathy (Diploma) courses etc.

The Study Centre/Study Extension Centre/Associate Institutions (First Aid Council of India) will run the Certificate Courses, Diploma Courses, P.G. Diploma Courses, Under Graduate and Post Graduate courses. The University through the Study Centre/Study Extension Centre/Associate Institutions (First Aid Council of India) will provide the employment/self employment guidance through the authorized advisers.

Sincerely,

DR. VIJAY KUMAR SINGH, Registrar.

Scanned by CamScanner

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28]   भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 जुलाई 2020—आषाढ़ 19, शक 1942

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 जून 2020

फा. क्र. 1-5-96-इक्कीस-ब(एक)-1573-2020.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा 1-5-96-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 5 जून 2017 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 9 जून 2017 में प्रकाशित हुई थी में निम्नलिखित आंशिक संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

Scanned by CamScanner

(1)	(2)	(3)	(4)		
25	श्री मुकुन्दसिंह नोरके	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	द्वितीय-सामान्य विधि	—
26	श्री मंगेश बुन्देला	वनक्षेत्रपाल	—	—	—
27	श्री रामप्रसाद चौधरी	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	द्वितीय-सामान्य विधि	—
28	श्री ओमप्रकाश शर्मा	वनक्षेत्रपाल	—	—	तृतीय-प्रक्रिया तथा लेखा
29	श्री अमित खन्ना	वनक्षेत्रपाल	प्रथम-वन विधि	—	—
			जबलपुर संभाग		
30	श्री कलुआ कुम्हार	वनक्षेत्रपाल	—	—	—

महेन्द्र यादुवेन्दु, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक.

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय

शैक्षणिक परिसर, निर्मला देवी मार्ग, कोलार रोड, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 30 जून 2020

क्र. अकादमी-अबिवाहिंविवि-2020-1886.—मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 34 सन् 2011 द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है. विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के बेरोजगार युवा-युवतियों को शिक्षा, रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ना, नवाचार पाठ्यक्रमों का क्रियान्वयन करना एवं पिछड़े असहाय एवं आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा एवं रोजगार को बढ़ावा देना है.

विश्वविद्यालय अधियिनम, 2011 की धारा 5 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत एवं विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 34(घ) के अन्तर्गत निर्मित परिनियम क्रमांक 13 में अध्ययन/शिक्षा केन्द्रों तथा संस्थाओं के संचालन और प्रबंधन नियम बनाये गये हैं. इसी क्रम में विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 28 फरवरी 2020 के निर्णयानुसार शासन एवं विश्वविद्यालय पर अतिरिक्त वित्तीय भार न आने की स्थिति में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में अध्ययन केन्द्र, स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर/सहयोगी संस्था रखने की स्वीकृति दी जाती है. इस निर्णय द्वारा प्राथमिक चिकित्सा उपचार/योग शिक्षा/प्राकृतिक आयुर्वेद/प्रबंधन/फैशन अभिकल्पन के पाठ्यक्रम सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाना अधिसूचित किया जाता है.

ऐसे अध्ययन केन्द्र, एक्शटेंसन सेन्टर/सहयोगी संस्था, भौतिक अधोसंरचना (भवन, फर्नीचर, कम्प्यूटर, प्रयोगशाला एवं छात्रों के बैठने आदि की व्यवस्था) शैक्षणिक अधोसंरचना (अध्यापनरत शिक्षकों की व्यवस्था, अध्ययन एवं अध्यापन हेतु सुविधा, लाइब्रेरी एवं पुस्तक आदि की व्यवस्था) संबंधी कार्य करेगी एवं विश्वविद्यालय छात्रों का रजिस्ट्रेशन, परीक्षा शुल्क, परीक्षा संबंधी अन्य गतिविधियां सुनिश्चित करेगा. विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्रों पर भौतिक व शैक्षणिक अधोसंरचना एवं अध्ययन-अध्यापन छात्रों के प्रवेश से प्राप्त राशियों से वित्तीय व्यय किया जावेगा.

आदेशानुसार,
डॉ. विजय कुमार सिंह, कुलसचिव.

Scanned by CamScanner

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 जुलाई 2020—आषाढ़ 26, शक 1942

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जून 2020

क्र.-एफ 1-13-2019-ब-2-दो.—राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20 फरवरी 2020 द्वारा श्रीमती अरुणा मोहन राव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, रेल भोपाल को दिनांक 24 से 29 फरवरी 2020 तक, छ: दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार सहित Hong Kong की निजी विदेश यात्रा (Ex-India Leave) की अनुमति प्रदान की गई थी.

(2) श्रीमती अरुणा मोहन राव, भापुसे द्वारा अपरिहार्य कारणों से उक्त विदेश यात्रा का लाभ न लेने के कारण अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 30 जून 2020

क्र.-एफ 1(ए)111-1986-ब-2-दो.—विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 12 मार्च 2020 द्वारा श्री संजय चौधरी, भापुसे, महानिदेशक, जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल को स्वीकृत अर्जित अवकाश का अपरिहार्य कारणों से उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 2 जुलाई 2020

क्र.-एफ 1(ए)168-1989-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (अ.अ.वि.), पु.मु., भोपाल ने दिनांक 24 से 30 जून 2020 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री ए.सांई मनोहर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक (अ.अ.वि./सतर्कता), पु. मु., भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाना, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (अ.अ.वि.), पु. मु., भोपाल के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.

Scanned by CamScanner

58 (जी) (i) के प्रावधान के अंतर्गत मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, जबलपुर के प्रबंध संचालक के पद पर आदेश जारी करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि अथवा आगामी आदेश, जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय दुबे, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल

माता निर्मला देवी मार्ग, राजहर्ष कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल (म. प्र.)

Bhopal, the 30th June 2020

No.-Academy-ABVHVV-2020/1886.—Atal Bihari Vajpyee Hindi University has been established by Madhya Pradesh Act No. 34 of 2011. The main objective of the University is to connect unemployed youths of the nation with education, employment and self-employment, to select innovative courses and to promote education and employment in backward, helpless and tribal areas. Under the provision contained in Section 5 of the University Act, 2011 and Section 34 (s) of the University Act, the operating and management rules of study/education centre and institutions have been framed in Statute No. 13. In this regard according the decision of the Executive Council of the University dated 28th February 2020 in the event of additional financial burden on the Government and the University, it is permitted to have Study Centres/Study Extension Centres or Study Centres/Associate institutes in the whole of Madhya Pradesh. By this decision, the course of first Aid Treatment/Yoga Education/Natural Ayurveda/Management/Fashion Design are to be conducted through the centres.

Such study centres/extension centres/affiliates, infrastructure (building, furnitures, computers, laboratory and seating arrangement of students etc.) education infrastracture (provision to engage teachers, facilities for study and teaching, library and books etc.) will be done by the centres and the university will ensure registration of students, examination fees and examination related other activities. Financial expenditure will be incurred by the University from the funds received from the admission of student's physical and educational infrastracture and study-teaching students at the centres.

By order,

DR. VIJAY KUMAR SINGH, Registrar.

Scanned by CamScanner

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश शासन के अधिनियम 2011 द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)

शैक्षणिक परिसर निर्मला देवी मार्ग कोलार रोड़ भोपाल (म.प्र.)

दूरभाष : 0755–2558606, वेबसाइट : www.abvhv.org, अणुडाक : abvhu.acadamy@gmail.com

क्रमांक / अकादमी / अबिवाहिंविवि. / 2020 / 1886 भोपाल, दिनांक 30/6/2020

अधिसूचना

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक–34 सन् 2011 द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के बेरोजगार युवा–युवतियों को शिक्षा, रोजगार एवं स्वरोजगार से जोडना, नवाचार पाठ्यक्रमों का कियान्वयन करना एवं पिछडे असहाय एवं आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा एवं रोजगार को बढावा देना है।

विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 की धारा 5 में निहित प्रावधान के अंतर्गत एवं विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 34(घ) के अंतर्गत निर्मित परिनियम कमांक 13 में अध्ययन / शिक्षा केन्द्रों तथा संस्थाओं के संचालन और प्रबंधन नियम बनाये गये है। इसी क्रम में विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.02.2020 के निर्णयानुसार **शासन एवं विश्वविद्यालय पर अतिरिक्त वित्तीय भार न आने की स्थिति में सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में अध्ययन केन्द्र, स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर / सहयोगी संस्था रखने की स्वीकृति दी जाती है।** इस निर्णय द्वारा प्राथमिक चिकित्सा उपचार / योग शिक्षा / प्राकृतिक आयुर्वेद / प्रबंधन / फैशन अभिकल्पन के पाठ्यकम सहयोगी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किया जाना अधिसूचित किया जाता है।

ऐसे अध्ययन केन्द्र, एक्सटेंसन सेन्टर / सहयोगी संस्था, भौतिक अधोसंरचना (भवन, फर्नीचर, कम्प्यूटर, प्रयोगशाला एवं छात्रों के बैठने आदि की व्यवस्था), शैक्षणिक अधोसंरचना (अध्यापनरत शिक्षकों की व्यवस्था, अध्ययन एवं अध्यापन हेतु सुविधा, लाइब्रेरी एवं पुस्तक आदि की व्यवस्था) संबंधी कार्य करेगी एवं विश्वविद्यालय छात्रों का रजिस्ट्रेशन, परीक्षा शुल्क, परीक्षा संबंधी अन्य गतिविधियां सुनिश्चित करेगा। विश्वविद्यालय द्वारा केन्द्रों पर भौतिक व शैक्षणिक अधोसंरचना एवं अध्ययन–अध्यापन छात्रो के प्रवेश से प्राप्त राशियों से वित्तीय व्यय किया जावेगा।

आदेशानुसार

(डॉ. विजय कुमार सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन कमांक / अकादमी / अबिवाहिंविवि / 2020 / 1887 भोपाल, दिनांक 30/6/2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति, राजभवन भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, मान. मुख्यमंत्रीजी मध्यप्रदेश, भोपाल,
3. विशेष सहायक, मान. मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल,
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल,
5. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,
6. निज सहायक के माध्यम से मान. कुलपतिजी को सूचनार्थ,
7. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, मध्यप्रदेश,
8. समस्त अनुबंधित अध्ययन केन्द्र, स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर / सहयोगी संस्था की ओर सूचनार्थ ।
9. समस्त संकायाध्यक्ष / प्रभारी, अकादमी अबिवाहिंविवि भोपाल,की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कुलसचिव

Scanned with CamScanner

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश शासन के अधिनियम 2011 द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)
शैक्षणिक परिसर निर्मला देवी मार्ग कोलार रोड़ भोपाल (म.प्र.)
दूरभाष : 0755–2558606, वेबसाइट : www.abvhv.org, अणुडाक : abvhu.acadamy@gmail.com

क्रमांक / अकादमी / 2020 / अबिवाहिंविवि. / 1890 भोपाल, दिनांक 30/6/2020

अनुमति–पत्र

प्रति,

निदेशक,
श्री अजय साहू,
भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद् (FACI),
95/1, इन्द्रप्रस्थ भवन, नवीन शाहदरा, दिल्ली–110032

महोदय,

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) की कार्य परिषद् बैठक दिनांक 28/02/2020 के निर्णयानुसार जारी अधिसूचना क्रमांक/अकादमी/अबिवाहिंविवि/2020/1886 भोपाल दिनांक 30.06.2020 द्वारा अधिसूचित किया जाता है विश्वविद्यालय के माध्यम से अध्ययन केन्द्र, स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर/सहयोगी संस्था के माध्यम से अध्ययन मंडल द्वारा अनुशंसित एवं विद्या परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल तथा अध्ययन केन्द्र, स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर/सहयोगी संस्था (भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद् (FACI)) द्वारा मध्य हुए अनुबंध की शर्तों, विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक –103 एवं मार्गदर्शिका में विहित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप पाठ्यक्रम संचालित किए जावेगें। अध्ययन केन्द्र, स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर/सहयोगी संस्था में अध्ययनरत पात्र छात्रों को म.प्र. शासन के नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी। अध्ययन केन्द्र, स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर/सहयोगी संस्था (भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद् (FACI))द्वारा प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा कोर्स/प्राथमिक आयुर्वेद चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा कोर्स व आयुर्वेद फार्मा डिप्लोमा कोर्स तथा अन्य सर्टिफिकेट/डिप्लोमा कोर्स जैसे– आयुर्वेद एवं चिकित्सा/यूनानी एवं चिकित्सा/होम्योपैथिक फार्मेसी/सिद्ध (वैकल्पिक) एवं चिकित्सा एक्यूपंक्चर/नैचुरोपैथिक, यौगिक विज्ञान एवं योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा (डिप्लोमा) के पाठ्यक्रम संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

अध्ययन केन्द्र, स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर/सहयोगी संस्था (भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद् (FACI)) द्वारा प्रमाण पत्र, पत्रोपाधि (डिप्लोमा), स्नातकोत्तर पत्रोपाधि, स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रमों को संचालित किया जावेगा। उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा अध्ययन केन्द्र, स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर या स्टडी सेन्टर/सहयोगी संस्था (भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद् (FACI))के माध्यम से रोजगार/स्वरोजगार हेतु अधिकृत परामर्शदाता द्वारा मार्गदर्शित किया जायेगा।

भवदीय

(डॉ. विजय कुमार सिंह)
कुलसचिव

पृ. क्रमांक / अकादमी / 2020 / अबिवाहिंविवि. / 1890 (अ) भोपाल, दिनांक 30/06/2020

प्रतिलिपिः–

1. कुलपतिजी के निज सचिव के माध्यम से मा.कुलपतिजी की ओर सूचनार्थ।
2. कुलसचिव के निज सहायक अबिवाहिंविवि,भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संकायाध्यक्ष अबिवाहिंविवि, भोपाल की ओर सूचनार्थ ।
4. परीक्षा/गोपनीय/अकादमी प्रभारी अबिवाहिंविवि की ओर सूचनार्थ।
5. स्थापना /भण्डार /लेखा शाखा अबिवाहिंविवि की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल, मध्यप्रदेश,
7. आदेश पुस्तिका।

कुलसचिव

Scanned with CamScanner

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय,भोपाल
माता निर्मला देवी मार्ग, राजहर्ष कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) - 462042
दूरभाष :- (0755) - 2491051, 2491052

No./Academy/ABVHVV/2020/1886 Bhopal, dated 30/06/2020

NOTIFICATION

Atal Bihari Vajpyee Hindi University has been established by Madhya Pradesh Act No 34 of 2011 The main objective of the university is to connect unemployed youths of the nation with education,employment and self-employment, to select innovative courses and to promote education and employment in backward, helpless and tribal areas. Under the provision contained in section 5 of the University Act 2011 and Section 34 (s) of the University Act, the operating and management rules of study/education centre and institutions have been framed in Statute No.13. In this regard according the decision of the Executive Council of the University dated 28/02/2020 in the event of additional financial burden on the government and the university, it is permitted to have Study Centres/Study Extension Centres or Study Centres/Associate institutes in the whole of Madhya Pradesh. By this decision, the course of First Aid Treatment/Yoga Education/Natural Ayurveda/Management/Fashion Design are to be conducted through the centres.

Such study centres/extension centres/affiliates, infrastructure (building, furnitures, computers, laboratory and seating arrangement of students etc.) education infrastructure (provision to engage teachers, facilities for study and teaching, library and books etc.) will be done by the centres and the university will ensure registration of students, examination fees and examination related other activities. Financial expenditure will be incurred by the University from the funds received from the admission of students' physical and educational infrastructure and study-teaching students at the centres.

By order,

(Dr. Vijay Kumar Singh)
Registrar

Endt.No./Academy/ABVHVV/2020/1887 Bhopal, dated 30/06/2020

Copy forwarded to :-

1. Principal Secretary, Hon'ble Governor and Chancellor, Raj Bhawan, Bhopal
2. Principal Secretary, Hon'ble Chief Minister, Govt. of M.P. Bhopal
3. Special Assistant, Hon'ble Higher Education Minister, Bhopal
4. Additional Chief Secretary, Govt. of M.P. Ministry of Higher Edu. Bhopal
5. Commissioner, Higher Education, Satpura Bhowan, Bhopal
6. Vice-Chancellor through his Personal Secretary, ABVHVV, Bhopal
7. The Controller, Central Printing Press, Bhopal
8. All contracted Study Centres/Study Extension Centres or Study Centres/ Collaborators
9. All Deans/Incharge Academy, ABVHVV Bhopal for information and necessary action please

(Registrar)
ABVHVV, Bhopal

//Translated from Hindi Version//

Scanned with CamScanner

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय,भोपाल

माता निर्मला देवी मार्ग, राजहर्ष कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.) - 462042
दूरभाष :- (0755) - 2491051, 2491052

No./Academy/2020/ABVHVV/1890 Bhopal, dt. 30.06.2020

PERMISSION- LETTER

To,

Mr. Ajay Sahu
Director
First Aid Council of India (FACI)
95/1, Indraprasth Bhawan,
New Shahdra, Delhi-110032

Sir,

In pursuance of the decision of the Executive Council meeting held on 28/02/2020 at Atal Bihari Vajpayee Hindi University, Bhopal (M.P.) a notification No.ABVHVV/2020/1886 dated 30/06/2020 is issued that permission is granted by the Atal Bihari Vajpayee Hindi University to run the Study Centre/Study Extension Centre/Associate Institutions the courses which are recommended by the Board of Studies and approved by the S.C. of A.C. (Standing Council of Academic Council). According to MOU (Memorandum of Understanding) incorporated between the ABVHVV and the FACI, Study Centre/Study Extension Centre/Associate Institutions will have to run the courses according to the provisions laid down by Ordinance No. 103 and the Guidelines issued by the University. The University will issue/pay the scholarship to the students who are studying in Study Centre/Study Extension Centre/Associate Institutions as per the M.P. Govt. rules. It is proposed by the FACI that the Study Centre/Study Extension Centre/Associate Institutions will run the courses like Diploma in Prathmik Chikitsa Visheshagya (First Aid Specialist Diploma), Prathmik Ayurved Chikitsa Diploma (First Aid Ayurveda Medical Specialist Diploma), Ayurveda Pharma Diploma Course and other Certificate/Diploma Courses such as Ayurveda Evm Chikitsa (Ayurved and Treatment/Unani Evm Chikitsa (Unani & Treatment)/Homeopathic Pharmacy/ Siddha Vaikalpic Evm Chikitsa (Siddha Alternative & Treatment)/ Acupuncture/Naturopatic/ Yogic Science & Yoga and Naturopathy (Diploma) courses etc.

The Study Centre/Study Extension Centre/Associate Institutions (First Aid Council of India) will run the Certificate Courses, Diploma Courses, P.G. Diploma Courses, Under Graduate and Post Graduate courses. The University through the Study Centre/Study Extension Centre/Associate Institutions (First Aid Council of India) will provide the employment/self employment guidance through the authorized advisers.

Sincerely,

(Dr. Vijay Kumar Singh)
Registrar
कुलसचिव
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय
भोपाल

Endt. No./Academy/2020/ABVHVV/1890(a) Bhopal, dt. 30.06.2020

Copy to :-

1. The Vice-Chancellor through his Personal Secretary for information.
2. The Registrar through this Personal Assistant for information.
3. The Deans of Faculties, ABVHVV for information.
4. The In-Charge of Exam/Academy/Confidential Sections, for information.
5. The Estt/Stores/Accounts Sections for information and necessary action.
6. The Controller, Central Printing Press, Govt. of M.P.
7. Orders book.

Registrar
ABVHVV, Bhopal
कुलसचिव
अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय
भोपाल

//Translated from Hindi Version//

Scanned with CamScanner

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय

मध्यप्रदेश शासन के अधिनियम 2011 द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय
शैक्षणिक परिसर निर्मल देवी मार्ग कोलार रोड़, भोपाल, मध्यप्रदेश

भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद
FIRST AID COUNCIL OF INDIA

गरीबी बहुआयामी है यह पैसे की आय से परे शिक्षा, स्वास्थ्य की देख-रेख, राजनीतिक भागीदारी और व्यक्ति की अपनी संस्कृति और सामाजिक संगठन की उन्नति तक फैली हुई है।

भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री
माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी

रोजगार / स्वरोजगार को बढाने हेतु एक सशक्त पहल

अनुभव से सीखना और शिक्षा से सीखना, दोनों जरूरी हैं। आपकी शिक्षा और मूल्य यह तय करते हैं कि आप अपने अनुभवों से कैसे सीखते हैं।

माननीय प्रधानमंत्री
श्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी जी

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा प्राथमिक चिकित्सा व प्राथमिक उपचार कौशल शिक्षा प्रणाली के प्रोत्साहन हेतु लोगों को कौशल योजना के अन्तर्गत शिक्षित व लाभान्वित कर आत्मनिर्भर बनाना उद्देश्य है।

आये–दिन देश मे दुर्घटना/बीमारी/महामारी व अन्य आपदाओं का प्रकोप बना रहता है इसलिए प्राथमिक उपचार प्रत्येंक व्यक्ति की आवश्यकता है। अत: प्राथमिक चिकित्सा व शिक्षा का प्रचार–प्रसार होना अति आवश्यक है।

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल अध्ययन केन्द्र (भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद् (FACI)) का मुख्य उद्देश्य देश मे महामारी जैसे कोविड–19 वायरस फ्लू आदि से नागरिकों को प्राथमिक उपचार हेतु जागरूक करना तथा राष्ट्र के बेरोजगार युवा/युवतियों को रोजगार/स्वरोजगारों से जोड़ना है तथा चिकित्सा कौशल को प्रोत्साहन देते हुए प्राथमिक चिकित्सा प्रणाली का प्रचार–प्रसार करना व पिछडे असहाय, आदिवासी समाज को स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य शैक्षणिक योग्यता को कौशल शिक्षा हेतु प्रमाणिक कर रोजगार हेतु एक सही व मान्य माध्यम स्थापित कर सामाजिक सामन्जस्य सौहार्द बनाये रखना है।

आत्मनिर्भर भारत हेतु पात्र व्यक्ति - नीम/हकीम, अप्रशिक्षित (झोला छाप डॉक्टर) ए.एन.एम/जी.एन.एम, एवं मेडिकल स्टोर्स/प्रायवेट अस्पताल/नर्सिंग होम, व समस्त स्वास्थ्य सेवाओं से संबधित व्यक्ति एवं वे सभी छात्र जो 12 वी उत्तीर्ण है, प्राथमिक चिकित्सा डिप्लोमा करने हेतु पात्र है।

प्रवेश प्रारम्भ

प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ डिप्लोमा कोर्स
(First Aid Specialist Diploma Course)

योग्यता/Eligibility : 12वी/स्नातक/स्नातकोत्तर
समय अवधि/Duration : एक वर्ष

उत्तीर्ण अभ्यार्थी अपना प्राथमिक उपचार केन्द्र खोल सकेंगे।

योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा डिप्लोमा कोर्स
(Yog and Natural Treatment Diploma Course)

योग्यता/Eligibility : 12वी/स्नातक/स्नातकोत्तर
समय अवधि/Duration : एक वर्ष

प्राकृतिक फार्मा डिप्लोमा कोर्स
(Natural Pharma Diploma Course)

योग्यता/Eligibility : 12वी/स्नातक/स्नातकोत्तर
समय अवधि/Duration : एक वर्ष

अध्ययनरत पात्र छात्र/छात्राओं को मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार विश्वविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी।

अन्य सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स जैसे– आयुर्वेद एवं चिकित्सा/यूनानी एवं चिकित्सा/होम्योपैथिक फार्मेसी/सिद्ध वैकल्पिक (Alternative Medicine) एवं चिकित्सा एक्यूपंक्चर/नैचुरोपैथिक, यौगिक विज्ञान एवं योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा डिप्लोमा के पाठ्यक्रम संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोत्साहन हेतु अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र (भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद् (FACI)) द्वारा मध्यप्रदेश मे अध्ययन केन्द्र/स्टडी सेन्टर व एक्सटेशन सेन्टर को खोला जा रहे है। राज्य मे इच्छुक व्यक्ति/संस्था/विद्यालय/महाविद्यालय आवेदन हेतु दिए गए नम्बर पर सम्पर्क करें।

www.abvhv.org or www.faci.ind.in ; E-mail : info@faci.ind.in
Contact No. : 6262-91-2222, 6262-19-2222, 9319590692, 9319590695, 0755-4012739
40, Abhinav Regal Homes, Avadhpuri, Bhopal (MP) - 462022

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय

(मध्यप्रदेश शासन के अधिनियम 2011 द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)
निर्मला देवी मार्ग, राजहर्ष कॉलोनी (कोलार रोड,) भोपाल – 462042 (म.प्र.)
दूरभाष : 0755–2491051 / 52 अणुडाक abvphvbpl@gmail.com

क्रमांक.3068/2020–21/अ.बि.वा.हि.वि.वि/ भोपाल, दिनांक – 10/9/2020

प्रेषकः डॉ0 विजय सिंह
कुलसचिव।

प्रेषितः

सेवा मे,

श्री राजेश भूषण जी
सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
रूम न0 156 ए, दिल्ली

विषयः अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा संचालित पत्रोपाधि पाठ्यक्रम प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ, प्राकृतिक फार्मा पाठ्यक्रमों मे वि.वि से उत्त्तीर्ण अभ्यर्थीयों के पंजीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक–34 सन् 2011 द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य राष्ट्र के बेरोजगार युवा–युवतियों को शिक्षा रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ना, नवाचार पाठ्यक्रमों का क्रियान्वयन करना एवं पिछड़े असहाय एवं आदिवासी क्षेत्रों मे शिक्षा एवं रोजगार को बढ़ावा देना है।

विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 की धारा 5 मे निहित प्रावधान के अन्तर्गत एवं विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 32, घ के अंतर्गत निर्मित परिनियम क्रमांक 13 मे अध्ययन/शिक्षा केन्द्रों तथा संस्थाओं के संचालन और प्रबंध नियम बनाये गये है। इसी क्रम मे विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28/02/2020 के निर्णयानुसार शासन एवं विश्वविद्यालय पर अतिरिक्त वित्तीय भार न आने की स्थिति मे सम्पूर्ण मध्यप्रदेश मे अध्ययन केन्द्र स्टडी एक्सटेंशन सेन्टर/सहयोगी संस्था रखने की स्वीकृति दी गयी है। इसी निर्णय द्वारा प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ, प्राकृतिक फार्मा पाठ्यक्रमों को अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल के माध्यम से स्थापित अध्ययन केंद्रो पर संचालित किया जा रहा है।

महोदय् उपरोक्त सभी विषयों का संचालन कौशल विकास योजना के अंतर्गत किया जा रहा है जैसा कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) द्वारा संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य मे प्रमाण–पत्र (CCCH) का संचालन स्वास्थ्य व जन हित मे निरन्तर कारगर है। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा संचालित उक्त विषयों का संचालन कोविड–19 महामारी के चलते वर्चुअल शैक्षिक पद्धति व पारम्परिक शिक्षण प्रणाली के माध्यम से स्वरोजगार व आत्मनिर्भता को प्रोत्साहन देने हेतु किया जा रहा है।

Scanned with CamScanner

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त पत्रोपाधि पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण छात्रों के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए इन छात्रों का पंजीकरण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश देना चाहे, ताकि उर्तीण छात्र पंजीकृत होकर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से लाभांवित हो सकें जिससे उर्तीण छात्रों को स्वरोजगार व आत्मनिर्भता हेतु प्रोत्साहन मिल सके।

धन्यवाद।

भवदीय्

डॉ0 विजय सिंह
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या यथोपरिः– क्र. 2069
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. सचिव, आयुष मंत्रालय, दिल्ली।
2. समस्त राज्य संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये।
3. समस्त राज्य मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
4. समस्त राज्य प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
5. निदेशक भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद, भोपाल।
6. पैरामेडिकल काउंसिल, भोपाल।
7. गार्ड फाईल।

डॉ0 विजय सिंह
कुलसचिव

संलग्नकः

1. छायाप्रतिलिपी विश्वविद्यालय अधिनियम 2011
2. अधिसूचना संख्या क्रमांक /अकादमी/अविवाहिंविवि./2020/1886 दिनांक 30/06/2020

Scanned with CamScanner

JHARKHAND STATE OPEN UNIVERSITY

(Established by the Government of Jharkhand & Recognised as per Jharkhand Act, 12, 2021)

Ref No.- JSOU/R/2023/213 Date – 25/04/2023

To,

The President
First Aid Council of India.

Sub: - MoU (Memorandum of Understanding with First Aid Council of India (FACI) as Collaborative Agency for Jharkhand State Open University (J.S.O.U.).

Respected Sir,

Greetings from Jharkhand State Open University.
Thank you for your letter, Ref No.- 114/Q-1/FACI/23 dated - /04/2023 regarding matter above, we understand the value of collaborating with FACI (First Aid Council of India) to disseminate First Aid Education through on-line programmes offered by Jharkhand State Open University. It will certainly have positive impact on the lives of individuals and the wider community. We are considering FACI proposal and after getting necessary approval from our statutory bodies we will do MoU with FACI.

Thank you for your proposal.

Regards,

25/4/2023

Registrar
Jharkhand State Open University,
Ranchi

Address: - Jharkhand State Open University, Opp. Faculty of Forestry, Birsa Agriculture University, Kanke, Ranchi, Pin-834006, Email- registrarjsou@gmail.com, Ph.No.-8929006645

GOVERNOR`S SECRETARIAT
JHARKHAND, RANCHI-834008

सत्यमेव जयते

Tel - 0651 - 2283465
2283466
2283467
Fax - 0651 - 2284870
www.rajbhavanjharkhand.nic.in

File No- JSOU-02/2022/**1672**/GS Ranchi, Dated-31.05.2023

From,

Mukulesh Chandra Narain,
O.S.D. (Judicial) to Governor.

To,

Vice Chancellor,
Jharkhand State Open University,
Ranchi.

Sub:- For starting courses in "Diploma in First Aid Specialist and Diploma in Jan Swasthaya Rakshak" in Jharkhand State Open University, Ranchi.

Ref.- Letter no.- JSOU/R/2023/240, dated-15.05.2023 of your University.

Sir,

With reference to the subject and letter referred above, I am directed to inform you that Hon'ble Governor-cum-Chancellor has been pleased to permit you to start the new courses as prayed in your aforesaid letter.

Yours faithfully,

31-5-2023

O.S.D. (Judicial) to Governor

JHARKHAND STATE OPEN UNIVERSITY
(Established by the Government of Jharkhand & Recognised as per Jharkhand Act, 12, 2021)

अधिसूचना

झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय राँची की स्थापना झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 (झारखंण्ड अधिनियम संख्या–12, 2021 दिनांक – 23.11.2021) द्वारा की गई है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास योजना के अन्तर्गत राष्ट्र के बेरोजगार युवक–युवतियों को शिक्षा, रोजगार एंव स्वरोजगार से जोडना, नवाचार पाठ्यक्रमों का क्रियान्वयन करना एवं पिछड़े असहाय तथा आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देना है। विश्वविद्यालय पत्रांक – JSOU/R/2023/240 दिनांक 15/05/ 2023 के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची के पत्रांक – JSOU-02/2022/1672/GS दिनांक 31 मई, 2023 द्वारा प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ एवं जनस्वास्थ्य रक्षक पाठ्यक्रम में डिप्लोमा स्तर पर प्रारम्भ करने हेतु अनुमति प्रदान की गई है।

तद्नुसार, विश्वविद्यालय के नियम/ परिनियम/ अधिनियम के तहत सहयोगी संस्था भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद (First Aid Council of India) के साथ प्राथमिक चिकित्सा उपचार से संबंधित पाठयक्रमों (प्राथमिक चिकित्सा विशेषज्ञ, जन स्वास्थ्य रक्षक) के सफल संचालन हेतु अनन्य (Exclusive) समझौता ज्ञापन (MoU) कर नवीन पाठयक्रमों का क्रियान्वयन/ संचालन कर शिक्षा एवं रोजगार / स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु प्रचार–प्रसार एवं संचालन गतिविधियों की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोगी संस्था भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद् (First Aid Council of India) के साथ उपरोक्त पाठयक्रमों के संचालन हेतु किये गये अनन्य (Exclusive) समझौता ज्ञापन (MoU) को अधिसूचित किया जाता है।

सहयोगी संस्था भारतीय प्राथमिक चिकित्सा परिषद (First Aid Council of India) एवं अध्ययन केन्द्रों द्वारा उपरोक्त डिप्लोमा पाठयक्रमों के वर्चुअल अथवा पारम्परिक संचालन हेतु भौतिक आधारभूत संरचना (भवन, फर्नीचर, प्रयोगशालाएं एवं छात्रों के बैठने आदि की व्यवस्था) तथा शैक्षणिक आधारभूत संरचना (अध्ययनरत् शिक्षकों की व्यवस्था, अध्ययन–अध्यापन हेतु सुविधा) संबंधी कार्य अध्ययन केन्द्रों एवं सहयोगी संस्था द्वारा की जायगी एवं विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के नामांकन/ पंजीकरण तथा अन्य गतिविधियों का कार्य सुनिश्चित करेगा। विश्वविद्यालय नियमानुसार परीक्षा संचालन का कार्य सहयोगी संस्था द्वारा किया जायगा। उक्त पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्राथमिक उपचार हेतु अपना कौशल व सेवायें दे सकेंगे। साथ ही राज्य सरकार द्वारा संचालित प्राथमिक उपचार केन्द्रों में कार्य करने के योग्य होंगे।

कुलपति के आदेशानुसार
ह0 /–
कुलसचिव
झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय,
राँची

ज्ञापांक– JSOU/R(Faci-01)/2023/293 दिनांक–24/06/2023

प्रतिलिपि –

1. प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची,
2. प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखण्ड, राँची,
3. सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची,

Address: - Jharkhand State Open University, Opp. Faculty of Forestry, Birsa Agriculture University, Kanke, Ranchi, Pin-834006, Email- registrarjsou@gmail.com, Ph.No.-8929006645

JHARKHAND STATE OPEN UNIVERSITY

(Established by the Government of Jharkhand & Recognised as per Jharkhand Act, 12, 2021)

4. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची,
5. विशेष कार्य पदाधिकारी (न्यायिक), राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड, राँची,
6. समन्वयक, सभी अध्ययन केन्द्र,
7. झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारीगण,
8. कुलपति एवं कुलसचिव के निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/6/2023

कुलसचिव
झारखण्ड राज्य खुला विश्वविद्यालय,
राँची

Address: - Jharkhand State Open University, Opp. Faculty of Forestry, Birsa Agriculture University, Kanke, Ranchi, Pin-834006, Email- registrarjsou@gmail.com, Ph.No.-8929006645